



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072022-237678
CG-DL-E-29072022-237678

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3306]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 28, 2022/श्रावण 6, 1944

No. 3306]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 28, 2022/SHRAVANA 6, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2022

का.आ. 3471(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड

(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में, केन्द्र सरकार यहां अनुसूची में वर्णित अनुसूची के कॉलम (२) में उल्लेखित अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है। उक्त अधिनियम के तहत ऐसे अधिकारियों के कार्यों को अधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी करने के लिए ए राज्य के संबंधित अनुसूची के कॉलम (३) में संगत प्रविष्टि में निर्दिष्ट भूमि के खिंचाव के संबंध में, जिला, तालुक और गाँवों में उल्लेखित कॉलम (४), (५), (६) और (७) क्रमशः जारी किए गए स्ट्रेंगथनिंग एंड इम्प्रूवमेंट टू २ लेन/२ लेन विथ पेव्ड शोल्डर/४ लेन डिवाइडेड कैरिज वे फ्रॉम डिज़ाइन किमी. 14+200 टू किमी. 101+000 श्रीनगर-बारामूला-उरी एन.एच.-१ रोड इन ५३ आरसीसी अंडर ७६० बीआरटीएफ प्रोजेक्ट बीकन इन द स्टेट ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-एन.एच.-१ के कि.मी. 14+200 से कि.मी. 101+000 तक के श्रीनगर-बारामूला-उरी रोड के लिए भूमि अर्जन हेतु ग्रामों की सूची।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	डिप्टी कमिश्नर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH1 के कि.मी. 17.4 से 101 तक	जम्मू और कश्मीर	बारामूला	बारामूला	1 कांठ बाग
					बोनियार	1 गिरदा नवाह 2 हुंडी नौशेरा 3 जाविंद

[फा. सं. 1/3a]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2022

S.O. 3471(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Strengthening and Improvement to 2Lane/2Lane with Paved Shoulder/4Lane divided carriage way from Design Km.14+200 to Km. 101+000(Srinagar-Baramulla-Uri) NH-1 Road in 53 RCC under 760 BRTF Project Beacon in the State of UT Jammu & Kashmir.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH-1 Srinagar-Baramulla-Uri Road from Km.14+200 to Km. 101+000 in the UT of Jammu & Kashmir.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Deputy Commissioner	17.4 Km. To 101Km.	JAMMU & KASHMIR	BARAMULLA	Baramulla	1 Kanth Bagh
					Boniyar	1 Girda Nawah 2 Hundi Nowshera 3 Javind

[F. No. 1/3a]

RAJESH GUPTA, Director